

7- राज्य सरकार द्वारा तम्र तम्र पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संपत्ति उनका पालन रहेगा ।

8- विद्यालय का रिहाई निर्धारित प्रमाण/परिभाषा में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राधिकार के अन्तर्गत जो भी परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध पर भी सीमा के अन्तर्गत द्वारा यह प्रतिबन्धित किया जाय कि -

111 विद्यालय के सुसंवादीकरण के पूर्व किसी प्रकार व्यापारिक प्रयुक्ति की व्यवस्था की जायेगी तथा इस के प्रस्तावित प्रयुक्ति की रजिस्ट्रीकरण पर सतत की सतत आक्षेप में प्रयत्न कराया जायेगा ।

121 विद्यालय में व्यापारिक उद्योग व्यवस्था की जायेगी तथा अधिक में इसी का निर्माण मानकानुसंग कराया जायेगा ।

131 सिपर्स कर्मचारियों को वेतन नियमानुसार प्रयुक्त किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संपत्ति के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तम्र पर पाया जाता है कि संपत्ति द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या विचलता देखी जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेशित प्रमाण पर पापन से लिया जायेगा ।


अर्थात्,


1. सीमा अधिकारी
संपत्ति अधिकारी ।

संख्या 1600111/15-7-1997 तद्विनायक

प्रतिबन्धित निम्नलिखित को प्रत्येक वर्ष आकस्मिक जांचगती के लिए प्रेषित :-

- 1- सिपा निदेशक, उपर प्रदेस, महानगर ।
- 2- मन्त्रीय संपुक्त सिपा निदेशक, महानगर ।
- 3- सिपा विद्यालय निरीक्षक, महानगर ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय 3330 महानगर ।
- 5- प्रबन्धक, लेड्स हाई स्कूल राजीवगनर हरिया महानगर ।



अर्थात्,

1. सीमा अधिकारी
संपत्ति अधिकारी ।